लाभांश वितरण नीति-एनएचपीसी लिमिटेड

1.0 पृष्ठभूमि:

सेबी ने दिनांक 08.07.2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनियम 43ए सम्मिलित किया है जिसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:

1. बाजार पूंजीकरण के आधार पर (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को गणना की गई) शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध इकाइयाँ एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेंगी जिसे उनकी वार्षिक रिपोर्ट और उनकी वेबसाइटों पर प्रकट किया जाएगा।

2. लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित मानदंड शामिल होंगे:
   क) परिस्थितियां जिनमे सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं;
   ख) वित्तीय मानदंड जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा;
   ग) आंतरिक और बाहरी कारक जिनपर लाभांश की घोषणा के लिए विचार किया जाएगा;
   घ) प्रतिधारित आय का उपयोग कैसे किया जाएगा, इस बारे में नीति; तथा
   ङ) शेयर के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदंड।

उपर्युक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कंपनी की लाभांश वितरण नीति तैयार की गई है।

2.0 इस नीति को एनएचपीसी लाभांश वितरण नीति ("नीति") के रूप में जाना जाएगा।

3.0 बोर्ड द्वारा अपनाए जाने की तारीख (अर्थात 30.05.2017) से नीति प्रभावी होगी।

4.0 नीति रूपरेखा:

नीतिगत ढांचे का आधार काफी सीमा तक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशानिर्देश, वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 तथा अन्य दिशानिर्देशों के अनुरूप है जितना कि लाभांश के भुगतान के संदर्भ में लागू है। नीति, कंपनी के लाभ के एक हिस्से को कंपनी के मालिकों से साझा करने के कंपनी के आशय को दर्शाती है।

5.0 महत्वपूर्ण शब्द:

- **लाभांश**: कंपनी का लाभ, जो व्यवसाय में नहीं रखा जाता है और शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा रखे गए शेयरों के लिए भुगतान की गई राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है। सरल शब्दों में यह निवेश पर वापसी को संदर्भित करता है जो शेयरधारकों को कंपनी के शुद्ध लाभ से मिलता है।

- **नेट वर्थ**: प्रदत्त शेयर पूंजी का कुल मूल्य और लाभ से सृजित सभी भंडार और प्रतिभूतियों की प्रीमियम राशि।

- **कर पश्चात लाभ (पीएटी) :** सभी कराधान संबंधी खर्चों की कटौती के बाद व्यवसाय द्वारा अर्जित शुद्ध राशि।

- **प्रतिधारित लाभ:** एक व्यवसाय द्वारा उत्पन्न लाभ जो शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है, लेकिन वह या तो व्यवसाय में पुनर्निवेश किया जाता है या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भंडार के रूप में रखा जाता है (जैसे कि ऋण का भुगतान करना या पूंजीगत संपत्ति खरीदना)।

- **लाभांश भुगतान अनुपात:** शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान की गई व्यावसायिक आय का प्रतिशत। यह दर्शाता है कि फर्म की कमाई लाभांश भुगतान का कितना अच्छे से समर्थन करती है। कम प्रतिशत, अर्थात लाभांश भुगतान अधिक सुरक्षित। लाभांश पर डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, एनएचपीसी को कंपनी के नेट वर्थ का 5% लाभांश का भुगतान करना होगा और तदनुसार लाभांश भुगतान अनुपात शुद्ध लाभ (पीएटी) के लगभग 60% - 80% की सीमा में रहेगा।

- **भाग प्रतिफल:** एक वित्तीय अनुपात जो दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के सापेक्ष मे प्रत्येक वर्ष लाभांश में कितना भुगतान करती है।

- **मूल्य आय (पीई) अनुपात:** यह प्रदर्शित करता है कि स्टॉक की अपनी मौजूदा कमाई के आधार पर बाजार कितना भुगतान करने को तैयार है।

- **प्राइस टु बुक अनुपात (पीबी) :** इस अनुपात का उपयोग किसी शेयर के बाजार मूल्य की उसके बुक वैल्यू से तुलना करने के लिए किया जाता है।

- **बाजार पूंजीकरण:** इसका अर्थ बाजार मूल्य और कुल बकाया शेयरों के आधार पर कंपनी का कुल मूल्यांकन है।

6.0 नीति इन पर लागू नहीं होगी:

- कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले अधिमान शेयरों पर लाभांश, यदि कोई हो;
- वस्तु के रूप में लाभांश का वितरण अर्थात लागू कानून के अधीन पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान किए गए बोनस शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जारी करके;
- इक्विटी शेयरों के बायबैक के माध्यम से लाभांश के भुगतान के विकल्प के रूप में नकदी का वितरण।

7.0 नीति के उद्देश्य:

लाभांश नीति निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है:

- **कंपनी का मौलिक मूल्य:** लाभांश वितरण नीति का कंपनी के मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नीति का उद्देश्य प्रतिधारित आय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थायी लाभांश भुगतान अनुपात सुनिश्चित करके कंपनी के मौलिक मूल्य को बढ़ाना है।

- **विकास योजना:** लाभांश वितरण नीति एक वित्तीय निर्णय है और इससे नकदी का बहिर्वाह होता है और लाभदायक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए नकदी की उपलब्धता में भी कमी आती है। यदि पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है, तो एक फर्म को बाहरी वित्तपोषण पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए लाभांश नीति को इस तरह

से तैयार करने की आवश्यकता है कि संभावित परियोजनाओं को ऋण और प्रतिधारित आय के उचित मिश्रण के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सके।

- **आय की स्थिर दर**: आय की दर में उतार-चढ़ाव शेयरों के बाजार मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए लाभांश नीति का उद्देश्य भविष्य में लगातार लाभांश भुगतान की प्रवृत्ति सुनिश्चित करना है जब तक कि कंपनी किसी भी आंतरिक या बाहरी कारकों के कारण लाभांश घोषित करने के लिए बाध्य न हो।

8.0 परिस्थितियाँ जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं :

कंपनी की लाभांश वितरण नीति निदेशक मंडल द्वारा अपनाई जाती है और कंपनी के शुद्ध लाभ और कंपनी के लाभ जिसे लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है, के बीच संतुलन को नियंत्रित करती है । लाभांश कंपनी के शुद्ध लाभ का एक हिस्सा है जो मौजूदा लागू कानूनों और दिशानिर्देशों के अनुसार शेयरधारकों के बीच वितरित किया जाता है। बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा की जाती है। सदस्यों को भुगतान किए जाने के लिए प्रासंगिक कानून और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड लाभांश की सिफारिश कर सकता है। बोर्ड अंतरिम लाभांश भी घोषित कर सकता है।

लाभांश के लिए कोई भी सिफारिश करने से पहले बोर्ड द्वारा जिन कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और लाभांश पर कर को शामिल करते हुए लागू कर सम्मिलित है लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं हैं। ये सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अधीन होंगे। लाभांश भुगतान का निर्णय करते समय इन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

9.0 वित्तीय मानदंड जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा :

दिनांक 27.05.2016 के भारत सरकार के डीआईपीएएम द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी प्रतिबंध पर डीआईपीएएम दिशानिर्देश के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत स्वीकार्य अधिकतम लाभांश के अधीन न्यूनतम वार्षिक लाभांश पीएटी का 30% या नेट वर्थ का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगी । फिर भी, सीपीएसई से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिनियम के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश का भुगतान करें जिसके तहत सीपीएसई की स्थापना की गई है जब तक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के स्तर पर मामला दर मामला आधार पर निम्नलिखित पहलुओं के विश्लेषण के बाद भुगतान किए जाने के लिए प्रस्तावित कम लाभांश उचित नहीं है।

(i) सीपीएसई की नेट वर्थ और उधार लेने की उसकी क्षमता;
(ii) लंबी अवधि के उधार;
(iii) कैपेक्स/व्यापार विस्तार की जरूरतें;
(iv) कैपेक्स की जरूरतों के अनुरूप आगे लाभ उठाने के लिए लाभ का प्रतिधारण; तथा
(v) नकद और बैंक बैलेंस

9.1 लाभांश नीति :

वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और नीति में उल्लिखित अन्य आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार करते हुए निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाएगा। हालांकि, मोटे तौर पर एनएचपीसी द्वारा लाभांश का भुगतान उक्त डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा अर्थात पीएटी का 30% या नेट वर्थ का 5%, जो भी अधिक हो।

9.2 <u>लाभांश भुगतान के लिए तरीका और समयसीमा:</u>

(क) <u>अंतरिम लाभांश</u> :

I. अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, निदेशक मंडल द्वारा घोषित किया जाएगा। सामान्यतया, अंतरिम लाभांश संबंधित वित्तीय वर्ष की तीसरी/चौथी तिमाही में घोषित किया जाता है।

II. अंतरिम लाभांश का भुगतान, यदि घोषित किया जाता है, लागू कानूनों के अनुसार रिकॉर्ड तिथि पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों को घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

(ख) <u>अंतिम लाभांश</u> :

I. अंतिम लाभांश के लिए सिफारिश, यदि कोई हो, निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी और वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगी।

II. लाभांश का भुगतान लागू कानून के अनुसार रिकॉर्ड तिथि/बुक क्लोजर अवधि पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों को घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

III. यदि कोई अंतिम लाभांश घोषित नहीं किया जाता है, तो वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, को वार्षिक आम बैठक में अंतिम लाभांश माना जाएगा।

10.0 <u>लाभांश की घोषणा के लिए जिन आंतरिक और बाहरी कारकों पर विचार किया जाएगा :</u>

आंतरिक कारकों में, कैपेक्स योजना और कंपनी को उपलब्ध मुफ्त नकद शामिल हैं।

बाहरी कारकों में आर्थिक स्थिति, कंपनी पर लागू नियामक मानदंड, लागू वैधानिक प्रावधान और भारत सरकार या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश शामिल हैं। लाभांश की मात्रा तय करते समय इन कारकों पर विचार किया जाएगा।

11.0 <u>प्रतिधारित आय के उपयोग का तरीका :</u>

प्रतिधारित आय का उपयोग मुख्य रूप से शेयरधारक के फंड को अधिकतम करने के लिए कंपनी की विकास संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कंपनी प्रतिधारित आय के उपयोग के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी :

I. कंपनी की लघु अवधि और दीर्घावधि योजनाएँ।
II. विविधीकरण के अवसर।
III. बोनस, बाय-बैक आदि जारी करने के संबंध में सरकार के दिशा-निर्देश।
IV. कोई अन्य मानदंड जिसे निदेशक मंडल उचित समझे।

12.0 <u>शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाने वाले मानदंड:</u>

लाभांश का भुगतान (घोषणा) करने का निर्णय कंपनी के निदेशक मंडल/एजीएम में शेयरधारकों द्वारा लिया जाता है। इस निर्णय के तहत प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) के प्रति शेयर लाभांश का आकार निर्धारित किया जाता है। चूंकि कंपनी के पास समान वोटिंग अधिकार के साथ इक्विटी शेयर का केवल एक वर्ग है, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर समान लाभांश के हकदार हैं।

13.0 <u>अन्य प्रावधान:</u>

नीति को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है और निदेशक मंडल को नीति में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार है। नीति की समीक्षा हर तीन साल में की जाएगी या समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल जैसा उचित समझे।

यदि भूमि के कानूनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, इस नीति का कोई भी व्यक्तिगत खंड ऐसे परिवर्तन का खंडन करता है, तो नीति का वह हिस्सा लागू किया जाएगा जो कानून का खंडन नहीं करता है।

यदि किसी शेयरधारक को 0.50 रुपये से कम का घोषित लाभांश निश्चित हुआ है तो ऐसे शेयरधारक को न्यूनतम 1 रुपये का लाभांश मिलेगा। इसके अलावा, लाभांश का भुगतान, कंपनियों (केंद्र सरकार) के सामान्य नियमों और प्रपत्र संशोधन नियम, 2014 के संदर्भ में लाभांश की राशि को पूर्णांकित करने के अधीन है।

14.0 <u>लाभांश वितरण नीति शेयरधारकों को सूचित करना</u>:

लाभांश वितरण नीति को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध कराया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट पर भी इसे प्रकट किया जाएगा।

नोट:- अंग्रेजी या हिन्दी नीति के अर्थ में विसंगति होने पर, अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

----XXXXXXXX----